

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (175)रथा/निकाशि/2011/ १४७८

दिनांक: २१/१२/२०११

कार्यालय आदेश

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (175)रथा/निकाशि/2011/4281 दिनांक 04/08/2011 एवं दिनांक ०९-०८-२०११ के द्वारा विभिन्न अनुदानित महाविद्यालयों से राज्य सेवा में आये व्याख्याताओं/ शैक्षणिक कर्मियों को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

अब चुंकि उक्त सभी अनुदानित महाविद्यालयों से राज्य सेवा में आये व्याख्याताओं/ शैक्षणिक कर्मियों का पदस्थापन राजकीय महाविद्यालयों में कर दिया गया हैं। अतः उन समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जहां की अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित था को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने यहां उपस्थिति दे रहे अनुदानित महाविद्यालयों से राज्य सेवा में आये व्याख्याताओं/ शैक्षणिक कर्मियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करें ताकि वे नवीन पदस्थापन पर राजकीय महाविद्यालय में कार्यग्रहण कर सकें।

(सुबीर कुमार)

निदेशक

दिनांक: २१/१२/२०११

क्रमांक एफ 1 (175)रथा/निकाशि/2011/ १४७८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (रथापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
4. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
5. संस्थापन/ कम्प्यूटर/ गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाइट।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर